Within the constraints of budgetary resources, Government has been providing support to the loss making fertilizer PSUs to enable them to meet their working capital requirements and/or critical capital expenditure. In 1997-98, the budgetary support extended to the PSUs has been as follows:

(Rs. in Crore)

Sl.No.	Name of PSUs	1997-98
1.	HFC	184.34
2.	FCI	318.15
3.	PPL	15.00
4.	PPCL	6.00
5.	PDIL	2.00
6.	FACT	37.88

Disinvestment of shares in profit-making Public Sector Units

1823. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to disinvest the profit making public sector units;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether FACT Udyogamandal (Kerala) has been enlisted for disinvestment; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) to (d) The Government has referred 50 Public Sector Enterprises to the Disinvestment Commission for consideration. These included profit making enterprises as well as those which have been incurring losses. The Commission has so far given its recommendations in respect of 41 of these Public Sector Enterprises including Fertiliser and Travancore Limited (FACT). The recommendations of the Commission are advisory in nature. The decision of the Government on the recommendations of the Commission will be taken keeping all aspects in view.

Import of Bulk Drugs

1824. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are importing bulk drugs;

(b) if so, since when and the amount of bulk drugs imported during last three years; and

(c) the year-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) to (c) No, Sir.

भारत-ओमान संयुक्त उर्वरक परियोजना

1825. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:**
श्री गोपालसिंह जी॰ सोलंकी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विगत एक माह से अंग्रेजी दैनिक "दि पॉयनियर" में भारत-ओमान संयुक्त उर्वरक परियोजना से संबंधित प्रकाशित हुए समाचारों की ओर दिलाया गया है, जिनमें बड़े पैमाने पर हुए वित्तीय गबन तथा घोटालों का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) इन समाचारों के प्रति अब तक सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकरण की कोई उच्च-स्तरीय जांच करायी है अथवा करायी जा रही है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त संयुक्त परियोजना से संबंधित सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखने का कोई निर्णय लिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल): (क) और (ख) सरकार का ध्यान हाल ही में "पायनियर" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें ओमान इंडियन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट (ओआईएफपी) के लिये इन्जीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) ठेके हेतु वरीय बोलीदाता के चयन में अनियमितताओं तथा परियोजना

लागत में 1000 करोड़ रु० की बढ़ोत्तरी के आरोप लगाये गये हैं। इस बारे में प्रासंगिक तथ्य नीचे दिये गये हैं :—

ओमान में संयुक्त उद्यम परियोजना की कल्पना पारस्परिक लाभ के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर (आरसीएफ) तथा कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड (कृभको) भारत की तरफ से तथा ओमान ऑयल कम्पनी (ओ० ओ० पी०) ओमान की तरफ से परियोजना में समान भागीदार है। फरवरी 1998 में संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे० वी० सी०) के रूप में पंजीकरण से पहले, संयुक्त उद्यम परियोजना से सम्बन्धित सभी निर्णय संयुक्त उद्यम समिति (जे० सी० एम०) द्वारा लिये जाते थे, जिसमें भारत और ओमान का समान प्रतिनिधित्व था। तब से, संयुक्त उद्यम परियोजना से सम्बन्धित सभी निर्णय जे० वी० सी० बोर्ड द्वारा लिये जा रहे हैं जिसमें भी दोनों पक्षों का समान प्रतिनिधित्व है।

जे० एम० सी० द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बोली आमंत्रित करके एकमुश्त टर्न की आधार पर ई० पी० सी० ठेका अवार्ड करने का निर्णय लिया गया था।

ये बोलीदाता जे० एम० सी० द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परामर्शदाता मै० जेम्स केमिकल्स एण्ड इन्जीनियरिंग, अमेरिका द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त थे।

बोलियां तीन भागों में आमंत्रित की गई थी — तकनीकी, अमूल्यांकित वाणिज्यिक और मूल्यांकित। नोटिस आमंत्रण निविदा (एन० आई० टी०) की तैयारी और तकनीकी-सह-अमूल्यांकित वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परामर्शदाता मै० जैकब इन्जीनियरिंग द्वारा भी किया गया था।

पूर्व योग्यता प्राप्त बोलीदाताओं से सितम्बर/अक्तूबर 1995 तक बोली प्राप्त हुई थी। तकनीकी-सह-अमूल्यांकित वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन मै० जैकब इन्जीनियरिंग द्वारा किया गया था और मार्च 1996 में प्रस्तुत की गई अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में मै० जैकब इन्जीनियरिंग के सभी तीनों बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य बताया। पार्टियों की तकनीकी योग्यता के सम्बन्ध में किसी भी बोलीदाता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई।

वरीय बोलीदाता के चयन हेतु मूल्यांकित बोलियों का मूल्यांकन इस परियोजना के वित्तीय सलाहकार मै० लेजार्ड ब्रदर्स के परामर्श से किया गया था और इस कार्य में मै० जैकब इन्जीनियरिंग द्वारा समर्थित एक विशेषज्ञ की तकनीकी सहायता ली गई थी।

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रक्रिया की उपयुक्तता, पूर्णता और औचित्य की सुरक्षा की दृष्टि से जेएमसी द्वारा वित्तीय सलाहकार के कार्य पर निगरानी रखने तथा वरीय बोलीदाता के चयन की सिफारिश करने हेतु एक द्विस्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था।

वित्तीय सलाहकार/मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर जेएमसी फरवरी 1997 में वरीय बोलीदाता के रूप में मै० स्नैमप्रोगेटी एंड टैकनिप सहायता संघ का चयन करने का निर्णय लिया क्योंकि उनकी अन्ततः मूल्यांकित बोली 18 मिलियन अमरीकी डालर थी जो क्रुप — ऊदे (यूएचडीई) सहायता संघ अर्थात् अगले उच्च बोलीदाता से कम थी।

इस निर्णय से खिन्न ऊदे ने भारत सरकार को अभ्यावेदन किया और बोलियों के पुनर्मूल्यांकन का आग्रह किया। इस मामले पर विचार करने पर सरकार ने पाया कि जेएमसी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है और अप्रैल 1997 में तदनुसार, यूएचडीई को बता दिया।

लेकिन ऊदे (यूएचडीई) ने अपने अभ्यावेदनों पर दृढ़ रही। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह मामला विचार करने हेतु अन्ततः जेएमसी को भेज दिया गया था। जेएमसी ने सितम्बर 1997 में ऊदे के अभ्यावेदन की जांच की और निर्णय किया कि पूर्व में लिये गये निर्णय को बदलने का कोई आधार नहीं था।

ओआईएफपी के लिये वरीय ईपीसी बोलीदाता के चयन से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर सरकार द्वारा परियोजना हेतु दिसम्बर 1997 में दिये गये निवेश अनुमोदन के सन्दर्भ में विचार किया गया था।

विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट में आंकलित 1106 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना लागत की जांच निवेश अनुमोदन के संदर्भ में की गई है। संयंत्र और मशीनरी के लिये ईपीसी ठेके की लागत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर निकाली गई है और यह लागत निवेश अनुमोदन के लिए ओआईएफपी की अमोनिया और यूरिया की उच्च क्षमता हेतु किये जा रहे समायोजनों और ओआईएफपी में मुहैया प्रेनुलेशन, डिसेलिनेशन, जेटी और बल्क हैंडलिंग के लिये अतिरिक्त सुविधाओं के लिये विचार की गई नवीनतम ग्रास रूट यूरिया परियोजना की संयंत्र और मशीनरी की लागत के तुल्य है।

चूंकि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ओआईएफपी के लिये वरीय ईपीसी बोलीदाता का चयन जेएमसी द्वारा विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् फरवरी, 1997 में किया गया था। यह मूल्यांकन यथार्थ मूल्यांकन मानकों पर आधारित था और स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय सलाहकारों की सहायता से किया गया था। संयुक्त उद्यम के भारतीय भागीदारों द्वारा निवेश के लिये सरकार का अनुमोदन, इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् दिसम्बर, 1997 में प्रदान किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

Units engaged in production of Chemicals Insecticides

1826. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of manufacturers item-wise of chemical insecticides in the country alongwith the details of quantum of production and the value of these products during the year 1997-98;

(b) the cost of import of ingredients being used in the manufacture of these insecticides; and

(c) the value of other insecticides imported and exported during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILZIERS (DR. A.K. PATEL): (a) Most of the insecticides have been delicensed w.e.f. August, 1991. More than 125 units in the organised sector are engaged in the manufacture of more than 60 Technical Grade Pesticides in the country. As per the provisional information available with the Department the production of Technical Grade Pesticides during 1997-98 is around 82,000 metric tonnes.

(b) and (c) Since there is no Central data monitoring, the exact cost of import of ingredients for manufacture of Insecticides can not be ascertained. The details of export & import of insecticides are as follows:

Exports	(Rs./Crores)
1996-97	658
1997-98	588 (Prov)
Imports	
1996-97	120
1997-98	56 (Prov)

SOURCE: DGCIS

Decline in the demand of Caustic Soda

1827. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demand of Caustic Soda and its allied products in declining since last two years;

(b) whether it is also a fact that considering the market demand, there should have been a growth of 5%, if so the reasons therefor; and

(c) whether free import or reduction of import duty has affected the 5000 crore industry manufacturing the Caustic Soda and allied products?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) The demand of Caustic Soda and Chlorine, a by-product, depends on the growth of consuming industries namely paper, dyes, pesticides etc. in which the growth during last 2 years has not been significant due to various factors.

(c) Import duty on basic chemicals including Caustic Soda was reduced from 40% to 30% in 1995-96 as part of the general policy of the Government. However, the import of Caustic Soda has no significant effect on the Caustic Soda industry in the country as imports constitute only 5% to 6% of the total domestic production.